जवाहर नवोदय विद्यालय, पचपदरा जिला– बाड़मेर(राज.)

–निविदा प्रपत्र–

बाहरी स्त्रोत्र से चौकीदार तथा बहु कार्य श्रमिक उपलब्ध कराना

निविदा प्रपत्र शुल्क रू 100/– **धरोहर राशि रू 2000/–**

बाहरी स्त्रोत्र (Out source) के माध्यम से सुरक्षा गार्ड तथा बहु कार्य श्रमिक (Multi Task Labour) इस विद्यालय को उपलब्ध कराने के लिए संबंधित व्यवसाय करने वाली फर्मो/एजेंसियों से मुहरबंद निविदाए आमंत्रित की जाती है।

इस हेतु विद्यालय द्वारा निर्धारित शर्ते आदि निम्नवत है जिनका अध्ययन करते हुए निविदादाता निविदा प्रस्तुत करेंगे–

अ– चौकीदार – आवश्यक श्रमिक संख्या 2 से 3

1– विद्यालय परिसर की निगरानी के लिए चौकीदार जैसी डयूटी करने वाले **2–3 श्रमिकों** की आवश्यकता है।

2– विद्यालय अपनी सुविधानुसार एक समय में 8 घंटे के अंतराल में 1 चौकीदार लगायेगा जिसे कुछ अवसर विशेष जैसे ग्रीष्मावकाश के दिनों आदि में विद्यालय की आवश्यकता को देखते हुए श्रमिकों की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है।

3– नियुक्त किये जाने वाले चौकीदार के पास बन्दुक अथवा अन्य हथियार नही होने चाहिए।

4– नियुक्त किये जाने वाले चौकीदार को नियमित वर्दी में रहना होगा तथा वर्दी उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित एजेंसी का रहेगा ।

5– नियुक्त किये जाने वाले चौकीदार की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता कक्षा– 8 उत्तीर्ण होनी चाहिए जिसे हिन्दी में बातचीत करने का ज्ञान भी होना चाहिए जिससे वे गेट पर आने–जाने व्यक्तियों का ब्यौरा लिखने तथा समझ सके।

ब– बहु कार्य श्रमिक– आवश्यक श्रमिक संख्या– 01

1– विद्यालय में बहु कार्य जैसे पौधों की देखरेख करना, स्कूल में कालांश अनुसार घंटी बजाना, पत्र आदि का स्टाफ में सर्कूलेशन करना, जलपान सर्व करना, कक्षों में स्थित टेबल,कुर्सियों आदि की सफाई आदि कार्यो को संपादित करने के लिए **01 श्रमिक** की आवश्यकता विद्यालय को है।

2– नियुक्त किये जाने वाले श्रमिक पढ़ा लिखा होना चाहिए जिसे हिन्दी में बातचीत करने का ज्ञान भी होना चाहिए।

2– कुछ अवसर पर यदि और श्रमिक की आवश्यकता महसुस होगी तो विद्यालय द्वारा फर्म को अवगत कराया जायेगा उस अनुसार चयनित फर्म को श्रमिक उपलब्ध कराना होगा जिसका चयनित दर अनुसार भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्त दोनों प्रकार के श्रमिक (चौकीदार एवं बहु कार्य) की निविदा के लिए सामान्य शर्ते–

1– नियुक्त किये जाने वाले श्रमिकों से 8 घंटे से ज्यादा कार्य नही करवाया जायेगा।

2– निविदा भरने वाली फर्म के पास चौकीदार/मल्टी टास्क जैसी डयूटी करने वाले श्रमिकों को उपलब्ध कराने संबंधी सरकार से जारी लाईसेन्स होना चाहिए साथ ही इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध/व्यवसाय करने संबंधी निर्धारित विभाग जैसे श्रम विभाग अथवा अन्य विभाग से जारी अनुमति/पंजीयन/प्रमाणपत्र होना आवश्यक है जिसकी प्रति वे निविदा के साथ भी संलग्न करेंगे।

3– नियुक्त किये जाने वाले श्रमिकों को विद्यालय द्वारा किसी प्रकार की आवास खानपान / भत्ता/ चिकित्सा आदि की सुविधा उपलब्ध नही करायी जायेगी।

4– नियुक्त किये जाने वाले श्रमिकों में से यदि कोई अवकाश पर रहेगा अथवा अनुपस्थित रहेगा उसका उस दिन का भुगतान नही किया जायेगा।

5– नियुक्त किये जाने वाले श्रमिकों का भुगतान सीधे श्रमिकों को नही करके संबंधित एजेंसी/फर्म को किया जायेगा।

6– माह पूर्ण होने के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा।

7– माह पूर्ण होने के पश्चात सेवा देने वाले श्रमिकों की उपस्थिति अवधि को प्रमाणित होने के पश्चात विद्यालय द्वारा फर्म/एजेंसी को दूरभाष/पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा तदनुसार बिल प्राप्त होने के बाद भुगतान किया जायेगा।

8– नियुक्त किये जाने वाले श्रमिकों का पुलिस वेरिफिकेशन संबंधित थाने से उपलब्ध कराकर विद्यालय को प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी संबंधित फर्म की रहेगी।

9– यह एक आवासीय विद्यालय है जिसमें लगभग 550 विद्यार्थी एवं स्टाफ निवास करते है अतः नियुक्त किये जाने वाले श्रमिकों का आचरण एवं व्यवहार ऐसा न हो जिससे आवासीय विद्यालय की गरिमा प्रभावित हो। नियुक्त किये जाने श्रमिक डयूटी के समय शराब/मादक पदार्थ का सेवन नही करेंगे।

10– यदि नियुक्त किये जाने वाले श्रमिक का आचरण एवं व्यवहार अनुचित पाया जाता है तो उस श्रमिक को स्वीकार नही किया जायेगा ।

11– डयूटी के दौरान यदि नियुक्त श्रमिक के साथ किसी प्रकार की जान–माल की हानि / दुर्घटना /मृत्यु हो जाती है तो उसके हर्जाने आदि के विद्यालय प्रशासन जिम्मेवार नही रहेगा।

12– सेवा प्रदान करने वाले श्रमिक का विभाग में किसी प्रकार की नियुक्ति पाने का कोई क्लेम नही रहेगा।

13– श्रमिकों को माह समाप्त होने के पश्चात पारिश्रमिक/वेतन समय पर करने की जिम्मेवारी संबंधित एजेंसी/फर्म की रहेगी।

14– नियमानुसार प्रतिमाह आयकर टी.डी.एस. की कटोति फर्म के बिल में की जायेगी।

15– उपरोक्तानुसार श्रमिकों का यह अनुबंध एक वर्ष के लिए मान्य रहेगा जिसे चयनित फर्म एवं विद्यालय प्रशासन की आपसी सहमति पर 01 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

16– दरें सभी कर सहित होनी चाहिए।

17– विवादों का न्याय क्षेत्र पचपदरा/बालोतरा होगा।

उपरोक्त शर्तो के अनुसार जो फर्म इस विद्यालय को श्रमिक उपलब्ध कराना चाहता है वे निविदा में प्रति श्रमिक की मासिक दर निविदा प्रपत्र में वर्णित करेंगे।

सुरक्षा गार्ड एवं मल्टी टास्क कार्य के लिए अलग अलग दरें वर्णित करें।

निविदा प्रपत्र का शुल्क रू 100/– है।

निविदा के साथ रू 2000/– बतौर धरोहर राशि जमा करनी अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

जिस फर्म की दरें चयनित की जाती है उससे 01 माह में लगने वाले श्रमिकों के वेतन की राशि के 10 प्रतिशत के समान बतौर सुरक्षा राशि प्राप्त की जायेगी। इसके लिए धरोहर राशि को समायोजित करली जायेगी तथा शेष राशि जमा कराने का दायित्व चयनित फर्म का रहेगा।

निविदा फार्म शुल्क/ धरोहर राशि नकद अथवा डिमाण्ड ड्राप्ट के माध्यम से विद्यालय को जमा करायी जा सकती है। डिमाण्ड ड्राप्ट प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय पचपदरा जिला– बाड़मेर के पक्ष में जारी होना चाहिए।

जिन फर्मो की दरें स्वीकृत नही होगी उनके द्वारा जमा कराये जाने वाली धरोहर राशि निविदा सम्पन्न होने के एक माह के भीतर लौटादी जायेगी।

निविदा प्रपत्र दिनांक 26–4–2017 प्रातः 10.00 बजे तक क्रय किये जा सकते है।

निविदा दिनांक 26–4–2017 अपरान्ह 11.00 बजे तक जमा करायी जा सकती है।

प्राप्त निविदाए दिनांक 26–4–2017 अपरान्ह 1.00 बजे क्रय सलाहकार समिति के सम्मुख खोली जायेगी।

निविदा प्रपत्र विद्यालय की वेबसाईट www.jnvbarmer.org से भी डॉउनलॉड किया जा सकता है।

वेबसाईट से निविदा प्रपत्र डाउनलॉड कर निविदा भरने वाली फर्म धरोहर राशि के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क जोड़कर राशि जमा करायेंगे।

निविदादाता को निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी प्रस्तुत करनी होगी–

1. श्रम विभाग/कार्यालय के द्वारा जारी लाइसेंस की प्रति।
2. पेन कार्ड की प्रति।
3. आर.सी.टी./सी.एस.टी./टिन की प्रति।

प्राचार्य
जनवि पचपदरा (बाड़मेर)

जवाहर नवोदय विद्यालय, पचपदरा जिला– बाड़मेर (राज.)

निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्तें

1. जवाहर नवोदय विद्यालय, **पचपदरा** की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक **26–4–2017** समय **प्रातः 11.00 बजे** तक छात्र–छात्राओं की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री की आपूर्ति हेतु सत्र **2017–18** के लिए मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं ।
2. निविदा के लिफाफे पर जिस सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है उसका उल्लेख किया जाना अनिवार्य हैं । उदाहरणार्थ फर्नीचर की निविदा में लिफाफे पर **फर्नीचर आपूर्ति हेतु निविदा 2017–18** स्पष्टतया लिखा जाना अनिवार्य हैं ।
3. निविदाएं **जवाहर नवोदय विद्यालय पचपदरा** के प्राचार्य कक्ष में दिनांक **26–4–2017** को **दोपहर 1.00 बजे** खोली जायेगी ।
4. सामग्री आपूर्ति हेतु दरें, निविदा फार्म की शर्तों, जिनका उल्लेख इस निविदा प्रपत्र में किया जा रहा हैं के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदा दाता को प्रपत्र की शर्तो पर सहमति हेतु हस्ताक्षर करने होंगे ।
5. निविदा में अंकित की गयी दरें समस्त करों जैसे वेट कर, उत्पादन शुल्क तथा अन्य करो सहित एफ0ओ0आर0 जवाहर नवोदय विद्यालय **पचपदरा** होनी चाहिए ।
6. निविदा फार्म साफ–सुथरे ढंग से भरा जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की कांट–छांट यथासंभव नहीं करें । यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करना अति–आवश्यक हैं तो उसे साफ–साफ तरीके से करते हुये परिवर्तन करें तथा किये गये परिवर्तन पर दिनांक सहित हस्ताक्षर कर सत्यापित करें । परन्तु किसी भी दशा में ओवर राइटिंग स्वीकार्य नहीं की जायेगी ।
7. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है तथा वह न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली निविदा को स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं हैं । अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताये रद्द कर सकते हैं ।
8. निविदा में स्वीकृत दरें **एक वर्ष** तक के लिये मान्य होगी जिसके आधार पर निविदा स्वीकार होने पर यह निविदादाता व निविदाकर्ता के बीच एक अनुबन्ध हो जाता है जिसके आधार पर स्वीकृत निविदादाता निविदा की शर्तों के अनुरूप आपूर्ति/कार्य करेगा ।
9. निविदा के साथ जमा करायी जाने वाली धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी) नकद या बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार की जाएगी । बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट **प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, पचपदरा** के पक्ष में **एस.बी.बी.जे. पचपदरा** (10176) पर देय होगा । जिन निविदाकर्ताओं की निविदा स्वीकार नहीं होगी उन्हें धरोहर राशि निविदा की अंतिम स्वीकृति होने की तारीख से एक माह के भीतर लौटा दी जायेगी । यदि निविदादाता धरोहर राशि के भुगतान में छुट चाहता है तो वह संबंधित सरकारी आदेश की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करेगा जिसके अंतर्गत संबंधित फर्म धरोहर राशि जमा कराने की छूट हेतु पात्रता रखती हैं ।
10. यदि कोई सरकारी संस्था निविदा प्रस्तुत करना चाहती है तो वे अपने सरकारी विभाग होने का प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करें ।
11. जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकार हो जाएगी उन्हें कुल अनुमानित क्रय राशि के 10 प्रतिशत के बराबर सुरक्षा राशि जमा करवानी होगी । इस सुरक्षा राशि में उनके द्वारा जमा करवायी गयी धरोहर राशि समायोजित कर दी जाएगी । इस सुरक्षा राशि पर किसी प्रकार का ब्याज नही होगा ।
12. विद्यालय द्वारा स्वीकृत निविदादाता की सुरक्षित जमा राशि अनुबंध समाप्ति की तिथि से कुल **छः माह** तक सुरक्षा की दृष्टि से रोकी जायेगी । यदि निविदा अनुबंध वर्ष में किसी त्रुटि के कारण से आपूर्ति से किसी प्रकार की हानि विद्यालय को होती है तो उस हानि की प्रतिपूर्ति सुरक्षा राशि से की जाएगी अन्यथा 06 माह के बाद अवमुक्त कर दी जाएगी ।
13. निविदा देने वाले व्यक्ति की, जिसकी निविदा स्वीकृत की गयी है को आदेश देने की तारीख में लिखी गई समय अवधि के भीतर विद्यालय को माल की आपूर्ति करनी होगी यदि अनुमोदित निविदादाता निर्दिष्ट अवधि के भीतर माल भेजने में असफल रहता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह माल की आपूर्ति खुले बाजार से कर ले या निविदा की आपूर्ति/कार्य किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को देकर पूरा करवा ले । इस सम्बंध में अधिक भुगतान की गई राशि की कटौती निविदादाता/अधिकृत आपूर्तिकर्त्ता की सुरक्षित जमा राशि

से की जाएगी । यदि इस सम्बंध में अधिक भुगतान राशि निविदादाता की जमा सुरक्षित राशि से अधिक होगी तो अधिक भुगतान की भरपाई की जिम्मेदारी भी निविदादाता/अधिकृत आपूर्तिकर्त्ता फर्म की होगी तथा उसकी वसूली संबंधित फर्म से की जाएगी तथा ऐसी फर्म को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जाएगा ।

14. यदि किसी सामान की सप्लाई के साथ निर्माता द्वारा कोई भी गिफ्ट सामान या स्कीम दिया जा रहा हैं तो उस पर क्रेता का अधिकार होगा जिसे आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति के साथ दिया जाएगा ।
15. निविदा में दर्शाई गई मात्रा अनुमानित है, जिसे निविदा जारीकर्ता/प्राचार्य द्वारा आवश्यकता अनुसार बिना कारण बताए घटाया या बढाया जा सकता हैं ।
16. निविदादाता को प्रिन्टेड एमआरपी एवं अनुमोदित दर दोनों में से जो भी कम हो का भुगतान किया जायेगा ।
17. निविदा फार्म में जिस सामग्री के लिए नमूना मांगा गया है के संबंध में निविदादाता निविदा के साथ या निविदा खुलने के समय मांगा गया नमूना साथ में लायेंगे । यदि आपूर्ति की जाने वाली वस्तु कोई मशीन है उस दशा में निविदादाता मशीन का स्थापन अधोहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशानुसार करेगा तथा उसको संचालित कर दिखाएगा तथा संबंधित कर्मचारियों को उसका निःशुल्क प्रशिक्षण भी देगा ।
18. आपूर्ति की गयी सामग्री की जांच अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा या अन्य अधिकृत प्रतिनिधि/कमेटी द्वारा की जायेगी । यदि आपूर्ति की गयी सामग्री स्वीकृत निविदा/आपूर्ति आदेश के अनुसार/विनिर्देशन के अनुसार नहीं पायी गयी तो आपूर्ति को अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे पर आपूर्ति की गयी सामग्री को बदलेगा अथवा वापस ले जाएगा।
19. ऐसी सामग्री जैसे कपड़ा, स्टेशनरी, जूता, चप्पल जिसकी गुणवत्ता की जॉच किसी सरकारी लैब में करवायी जानी है, इस प्रकार की जॉच का व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। जॉच ऐजेन्सी का चयन अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जाएगा।
20. निविदा उन्ही फर्मो की स्वीकार की जाएगी जो उस विशिष्ट सामग्री का व्यापार करती हो तथा उसके निमित्त फर्म को उस सामग्री के व्यापार करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। उदाहरणार्थ यदि खाद्य सामग्री का आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्तुत करना है तो फर्म को खाद्य सामग्री के व्यापार से संबंधित वैट प्रमाण पत्र व वैट नम्बर प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह स्पष्टतया दर्शाया गया हो कि संबंधित फर्म खाद्य सामग्री के व्यापार करने हेतु पंजीकृत है।
21. निविदादाता सामग्री को ठीक तरह से पैक करने के लिए जिम्मेदार होगा ताकि उसे जहाज, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा साधारण दशा में भेजते समय नुकसान न हो तथा सामग्री अच्छी दशा में नियत स्थान पर प्राप्त की जा सके । किसी भी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट–फूट, लीक, सड़क, दुर्घटना होने या अन्य कमी की घटना के कारण हुई हानि के लिए निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता जिम्मेदार होंगे और उस हानि की भरपायी उन्हीं के द्वारा की जाएगी । अधोहस्ताक्षरी इस प्रकार से हुई हानि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे ।
22. आपूर्तिकर्त्ता फर्म को किये जाने वाले भुगतान के निमित्त जारी बैंक ड्रांफ्ट, आर.टी.जी.एस., एन.ई.एफ.टी इत्यादि पर होने वाले व्यय सम्बंधित फर्म द्वारा वहन किये जायेंगे ।
23. विवादास्पद आईटमों के मामले में भुगतान की राशि रोकी जा सकती है तथा विवादास्पद आइटमों का निपटारा अधोहस्ताक्षरी द्वारा अथवा उसके द्वारा नामित कमेटी सदस्य जिसमें एक प्रतिनिधि आपूर्तिकर्त्ता फर्म का भी होगा, कि आपसी सहमति के निर्णय अनुसार होगा ।
24. क्रय की जाने वाली वस्तुओं के विशिष्ट विवरण जैसे साईज, मैक, सेम्पल, पेटेन्ट क्वालिटी एवं मात्रा एवं टेण्डर की शर्ते आदि जवाहर नवोदय विद्यालय के कार्यालय से कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है । इन्हें प्रत्येक निविवादाता अपने निविदा देने से पूर्व देख सकता है या प्राप्त कर सकता हैं । यदि उसे इन शर्तों या विशेष विवरणों या चित्र आदि के किसी भी भाग के अर्थ के बारे में कोई सन्देह हो तो वह निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे प्रभारी अधिकारी को संदर्भित करें तथा उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करें ।
25. यदि निविदा फर्नीचर सप्लाई के लिए हैं तो निविदादाता प्रत्येक फर्नीचर सामान पर मेटल की प्लेट लगायेंगे जिस पर फर्म का नाम तथा सप्लाई का वर्ष अंकित होगा ।
26. इन सामान्य शतों के अतिरिक्त विद्यालय द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची तथा विशिष्ट सामग्री अनुसार शर्तों का विवरण इस निविदा फार्म के साथ संलग्न हैं ।

27. ऐसी सामग्री जिसके निमित्त नमूना भी मांगा गया हैं निविदादाता द्वारा प्रस्तुत नमूने की कीमत निविदा प्रपत्र के अनुसार भुगतान की जाएगी तथा नमूने पर क्रय सलाहकार समिति के सदस्यों व निविदादाता के हस्ताक्षर होंगे । नमूने को विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा । नमूना किसी भी दशा में निविदादाता को वापस नहीं किया जायेगा ।

28. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र **पचपदरा/ बालोतरा** होगा ।

29. निविदादाता निविदा के साथ निम्न सत्यापित प्रमाण संलग्न करेंगे :-

अ. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नंबर व टैन नम्बर की सत्यापित प्रतिलिपि ।

ब. निर्धारित धरोहर राशि ।

स. उपकरण फर्नीचर आदि की सप्लाई के लिए निर्दिष्टीकरण तथा छपा हुआ सूचीपत्र तथा अन्य लिखित सामग्री ।

द. यदि निविदादाता अधिकृत वितरक है तो सम्बंधित कम्पनियों द्वारा अनुमोदित/अधिकृत वितरक का प्रमाण पत्र ।

य. जहां लागू हों, टिन/बिक्री कर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति ।

र. फर्म के बैंक खाते का नम्बर व आरटीजीएस नम्बर ।

दिनांक : ....

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय,पचपदरा

धरोहर राशि व निविदा शुल्क (यदि वैबसाईट से डाउनलोड किया गया हैं) का विवरण एवं शर्त सहमति पत्र

—:—

1. निविदा प्रपत्र के साथ (यदि वैबसाईट से डाउनलोड किया गया हैं) निविदा शुल्क रूपये .... का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक .... जो कि **स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर**, (10176) बैंक द्वारा **प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय पचपदरा** के नाम से जारी किया गया है, संलग्न कर दिया गया हैं ।

2. निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि रूपये .... का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक .... जो कि प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय, पचपदरा के नाम जारी किया गया हैं, संलग्न कर दिया गया हैं ।

3. निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि रूपये .... दिनांक .... को जवाहर नवोदय विद्यालय, पचपदरा के रसीद क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा नकद जमा करा दी गई हैं ।

उक्त धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में लिखित प्रावधानों के अनुसार अंकित की गयी शर्तों के उल्लंधन पर जब्त किये जाने का अधिकार निविदाकर्त्ता को होगा ।

निविदा प्रपत्र में उल्लेखित समस्त शर्ते तथा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न निविदा एवं संविदा की सामान्य की सभी शर्ते हमें मान्य हैं जिसके लिए में अपनी सहमति प्रदान करता हैं ।

दिनांक : निविदा भरने वाले का नाम व हस्ताक्षर

स्थान :

निविदादाता द्वारा भरे जाने योग्य विवरण एवं घोषणा–

फर्म / पार्टी का नाम ....

डाक का पुरा पता .... :

टेलीफोन / मोबाइल नं0 ....ई–मेल पता...................

आर0एस0टी0 / सी0एस0टी0 नं0 ....पंजीयन नं0 ....

उल्लेखित निविदा जिसके लिए आवेदन किया है उसका लाईसेंस नं...................

टीन नम्बर .... आयकर पैन एकाउन्ट न...

(निविदादाता अपनी फर्म के लेटरपेड पर निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कार्य अनुसार दरें प्रस्तुत करें)

सेवामें,

श्रीमान् प्राचार्य,
जवाहर नवोदय विद्यालय,
पचपदरा

विषय– बाहरी स्त्रोत्र (Out Source) श्रमिक के माध्यम से चौकीदार एवं बहु कार्य श्रमिक उपलब्ध कराने की निविदा प्रस्तुत करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा सूचना के सन्दर्भ में, बाहरी स्त्रोत्र के माध्यम से श्रमिक (चौकीदार एवं बहु कार्य श्रमिक) उपलब्ध कराने की निविदा हेतु हमारी फर्म / मेरी निविदा दरें निम्नवत है–

क्र.सं.	विवरण	दर प्रति श्रमिक प्रति माह (निविदादाता द्वारा भरे जाने योग्य)
1	चौकीदार की डयूटी करने वाले श्रमिक 08 घंटे हेतु	रू.................... अक्षरे रू ....मात्र
2	बहु कार्य (Multi Task) की डयूटी करने वाले श्रमिक 08 घंटे हेतु	रू.................... अक्षरे रू ....मात्र

इस निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित धरोहर राशि नकद रूपये.............................. या डिमाण्ड ड्राफ्ट नं0 . ...दिनॅाक .... राशि रूपये ....भी सलंग्न कर रहे है / रहा हूॅ। निविदा प्रपत्र में लिखित सामान्य शर्ते व अन्य शर्ते / नियम मुझे / हमें मान्य है ।

भवदीय

दिनांक ....

निविदादाता के हस्ताक्षर......................
फर्म की मुहर ....
मोबाईल नं...

जवाहर नवोदय विद्यालय, पचपदरा जिला– बाड़मेर (राज.)
(दूरभाष नं. 02988 281210, ईमेल jnvbarmer@yahoo.com jnvbarmer02@gmail.com)

क्रमांक जनवि / पच / 2016–17 / 94 दिनांक 13–4–2017

निविदा सूचना

इस विद्यालय में बाहरी स्त्रोत्र के माध्यम से चौकीदार एवं बहुकार्य श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र की शुल्क रू 100 / – है। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से कार्य दिवस के समय दिनांक 26–4–2017 प्रातः 10.00 बजे तक क्रय किया जा सकता है। इस निविदा हेतु धरोहर राशि रू 2000 / – निर्धारित की गयी है।

निविदा प्रपत्र पूर्णतया भरा हुआ इस कार्यालय को दिनांक 26–4–2017 अपरान्ह 11.00 बजे तक जमा कराया जा सकता है।

प्राप्त निविदाए दिनांक 26–4–2017 को अपरान्ह 1.00 बजे इस कार्यालय में क्रय सलाहकार समिति के सम्मुख खोली जायेगी।

निविदा प्रपत्र विद्यालय की वेबसाईट www.jnvbarmer.org से भी डाउनलॉड किया जा सकता है।

निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी निविदा प्रपत्र में उल्लेखित है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य के पास रहेगा।

प्राचार्य

....